प्रेषक,

राम भरत,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग- 4 **लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर, 2021**

विषय : उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान में **द्वितीय किश्त** की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1306/अ०सं०आ०/2021-36वि०/19, दिनांक 04.10.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1,61,04,000/- **(रू० एक करोड़ इक्सठ लाख चार हजार मात्र)** के सापेक्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) रू0 161.04 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 80,52,000/- लाख **(अस्सी लाख बावन हजार मात्र)** शासनादेश संख्या-8/2021/114/52-4-2021-2(आ0/बजट)/2018**,** दिनांक 28.04.2021 के निर्गत की गयी**।** उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त धनराशि रू0 80,52,000/- लाख **(अस्सी लाख बावन हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि (रूपये में)	स्वीकृत धनराशि(रूपये में)
1	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1,61,04,000/-	**द्वितीय किश्त** 80,52,000/-
	कुल	1,61,04,000/-	80,52,000/-
		(रू० एक करोड़ इक्सठ लाख चार हजार मात्र)	**(अस्सी लाख बावन हजार मात्र)**

(1)- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदर्शों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं" पर व्यय के लिए न किया जाय।

(3)- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुश्चित किया जाय।

(5)- धनराशि का यथा-समय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी०एम०-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105 विशेष जांच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम भरत)
अनु सचिव

संख्या -14/2021/358(1)/बावन-4-2021, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4- श्री अनिल कुमार सिंह, अनु सचिव/नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम भरत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।